न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 781/ 2019

धर्मवीर पुत्र जसंवत पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री चिमनलाल दुआ अधिवक्ता (वादी)

2 श्री त्रिलोकचन्द चायल अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

3 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय दिनांक :– 12.2.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही खानदान के है। चक 7 एस डी पी खाता सख्या 7/45 प.न. 29/175 मु.न. 8 कि.न. 1, 2,10, 11, 20, 21 में 1.518 है. प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आराजी का पारिवारिक बंटवारा हो चूका है एव मद संख्या 2 में दर्ज आराजी वादी को प्राप्त हुयी है। वादी मु.न. 8 कि.न . 1, 2, 10, 11, 20,21 में1.518 है. नहरी मय खाला आराजी को पारिवारिक बंटवारानूसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में वादी के हक हिस्सा का 1. 518 है. रकबा प्रतवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने से वादी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है वादी को बैंक लोन लेने तथ अन्य सरकारी सुविधाएं लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वादी ने कई बार प्रतिवादी से निवेदन किया कि आप मेरे कब्जा काश्त का रकबा मेरे नाम से दर्ज करवाने में अपनी सहमति के ब्यान दे दो ताकि उक्त रकबा मेरे नाम रिकॉर्ड मे दर्ज हो सके, परन्तु प्रतिवादी आज कल आज कल करता रहा और आज से 2 रोज पूर्व रकबा वादी के नाम करवाने से साफ इंकार हो गया, बस यही बिनाये दावा है। वगैरा–वगैरा।

अतः वाद वादी मय शपथ पत्र हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि वादी धर्मवीर को चक 7 एस डी पी खाता संख्या 7/45 प.न. 29/175 मु.न. 8 कि.न. 1, 2, 10, 11, 20, 21 में 1.518 है. नहरी मय खाला आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संखय 1 का नाम कलमजन किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या1 को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील उपस्थित होकर इकबाल दावा पेश कर वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ। राज्यहित को ध्यान मे रखते हुये वाद वादी में उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी ने वादी के कथनों मे अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है एव वादाधीन आराजी में पुत्र होने के नाते एव पारिवारिक बटवारा के अनूसार खातेदारी घोषणा की मांग कर रहा है जो कि प्रतिवादी संख्या 1ने वादी के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की है व इकबाल दावा पेश कर वादी की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद नही है एव ना ही प्रतिवादीगण को पारिवारिक बंटवारा एव कब्जा काश्त के सम्बध में कोई विरोध है इस प्रकार वादी ने अपने वाद पत्र को अभिकथनों, दस्तावेजी साक्ष्यों, बहस व इकबाल कथनों से बखूबी साबित किया है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि चक 7 एस डी पी खाता संख्या 7/45 प.न. 29/175 मु.न. 8 कि.न. 1, 2, 10, 11, 20, 21 में 1.518 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। निर्धारित स्टाम्प डयूटी पेश होने पर उक्तानुसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/2/2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 781 / 2019

धर्मवीर पुत्र जसंवत पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादी

बनाम

1 कृष्णलाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी मम्मड़खेड़ा तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 ,53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री चिमनलाल दुआ वकील वादी मिन जामिन मुद्दई श्री त्रिलोकचन्द चायल वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 7 एस डी पी खाता संख्या 7 / 45 प.न. 29 / 175 मु.न. 8 कि.न. 1, 2, 10, 11, 20, 21 में 1.518 है. नहरी मय खाला आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एव इस हद तक प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाता है। उक्तानूसार ही वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 12.2.2020 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:05:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: